"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2009—चैत्र 23, शक 1931

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अप्रैल 2009

क्रमांक 03/चार/लो. स. चु./2009/1931.— भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का अधिसूचना संख्या क्रमांक-464/2009(1) दिनांक 09 अप्रैल, 2009 आयोग द्वारा झारखण्ड के कतिपय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय परिवर्तन संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2009—23 चैत्र, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 464/2009.— यत: भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अधीन जारी 23 मार्च, 2009 की अपनी अधिसूचना सं. 464/2009/(1) द्वारा 4-चतरा, 5-कोडरमा, 11-खूंटी (अ. ज. जा.), 12-लोहरदगा (अ. ज. जा.), 13 पलामू (अ. जा.) और 14-हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पहले चरण में 16 अप्रैल, 2009 को होने वाले मतदान के लिये 'मतदान का समय' 7 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक किया था ; और

यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अधीन जारी 28 मार्च, 2009 की अपनी अधिसूचना सं. 464/2009 (2 ख) द्वारा झारखंड राज्य में 6-गिरीडीह, 7-धनबाद, 8 राँची, 9-जमशेदपुर और 10-सिंहभूम (अ. ज. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दूसरे चरण में 23 अप्रैल, 2009 को होने वाले मतदान में 'मतदान का समय' 7 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक नियत किया था ; और

यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखंड की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद और अन्य सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग का सामाधान हो गया है कि उग्रवादी गतिविधियों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल की सीमित उपलब्धता के कारण झारखंड राज्य में 4-चतरा, 5-कोडरमा, 11-खूंटी (अ. ज. जा.), 12-लोहरदगा (अ. ज. जा.), 13-पलामू (अ. जा.) और 14-हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम चरण में 16 अप्रैल, 2009 को होने वाले मतदान और 6-गिरीडीह, 7-धनबाद, 8-राँची, 9-जमशेदपुर और 10-सिंहभूम (अ. ज. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण में 23 अप्रैल, 2009 को होने वाला मतदान 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक करवाया जाना उपयुक्त होगा.

अत: अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने एतद्द्वारा पूर्व की अपनी अधिसूचना सं. 464/2009 (1) दिनांक 23 मार्च, 2009 और अधिसूचना सं. 464/2009 (2ख) दिनांक 28 मार्च, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि झारखंड राज्य के लिए 4-चतरा, 5-कोडरमा, 11-खूंटी (अ. ज. जा.), 12-लोहरदगा (अ. ज. जा.), 13-पलामू (अ. जा.) और 14-हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पहले चरण में दिनांक 16 अप्रैल, 2009 और 6-गिरीडीह, 7-धनबाद, 8-राँची, 9 जमशेदपुर और 10-सिंहभूम (अ. ज. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दूसरे चरण में दिनांक 23 अप्रैल, 2009 को होने वाले मतदान के लिए उस अधिसूचना में निहित स्तम्भ (3) में विर्निदिष्ट मतदान की अवधि के लिए प्रविष्टियां निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

झारखंड

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम (1)	मतदान की तारीख (2)	मतदान का समय (3)
4-चतरा 5-कोडरमा 11-खूंटी (अ. ज. जा.) 12-लोहरदगा (अ. ज. जा.) 13- पलामू (अ. जा.) 14-हजारीबाग	16 अप्रैल, 2009 (बृहस्पतिवार)	7.00 बजे पूर्वाह्न से बजे 3.00 अपराह्न

(1)	(2)	(3)
6-गिरिडीह	23 अप्रैल, 2009 (बृहस्पतिवार)	7.00 वजे पूर्वाह्न से बजे 3.00 अपराह्न
7-धनबा		
8-राँची		
9-जमशेदपुर		
10- सिंहभूम (अ. ज. जा.)		

आदेश से,

हस्ता./-
(शंगारा राम)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, Dated 13th April, 2009—23 Chaitra, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464 2009.— Whereas, the Election Commission of India by its notification No. 464/2009 (1), dated 23rd March, 2009 issued under Section 30 read with Section 56 of Representation of the Pepole Act, 1951 (43 of 1951) has fixed " Hours of Poll" from 7.00 AM to 4.00 PM in respect of 4-Chatra, 5-Kodarma, 11-Khunti (ST), 12-Lohardaga (ST), 13-Palamu (SC) and 14-Hazaribagh Parliamentary Constituencies for the 1st phase of poll on 16th April 2009.

Whereas, the Election Commission of India by its notification No. 464/2009 (2B) dated 28th March, 2009 issued under Section 30 read with Section 56 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) had fixed "Hours of Poll" from 7.00 AM to 4.00 PM in respect of 6-Giridih, 7-Dhanbad, 8-Ranchi, 9-Jamshedpur and 10-Singhbhum (ST) Parliamentary Consituencies for the 2nd phase of poll on 23rd April, 2009 in the State of Jharkhand.

Whereas, after considering the report of Chief Electoral Officer, Jharkhand and after taking into account all other material circumstances, the Election Commission is satisfied that it is desirable to conduct the poll from 7.00 AM to 3.00 PM in respect 4-Chatra, 5-Kodarma, 11-Khunti (ST), 12- Lohardaga (ST), 13-Palamu (SC) and 14-Hazaribagh Parliamentary Constituencies for the 1st phase of poll on 16th April, 2009 and in respect of 6-Giridih, 7-Dhanbad, 8-Ranchi, 9-Jamshedpur and 10-Singhbhum (ST) Parliamentary Constituencies for the 2nd phase of poll on 23rd April, 2009 in the State of Jharkhand due to limited avaliability of forces and extermist activity.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election Commission of India in partial modification to it's earlier notification Nos. 464/2009 (1) dated 23rd March, 2009 and 464/2009 (2B) dated 28th March, 2009 has decided that the hours as specified in column 3 of the schedule contained in the notification during which poll will be taken in respect of 4-Chatra, 5-Kodarma, 11-Khunti (ST), 12-Lohardaga (ST), 13-Palamu (SC) and 14-Hazaribagh Pariamentary Constituencies for the 1st phase of poll on 16th April 2009 and in respect of 6-Giridih, 7-Dhanbad, 8-Ranchi, 9-Jamshedpur and 10-Singhbhum (ST) Parliamentary Constituencies for the 2nd phase of poll on 23rd April, 2009 in the State of Jharkhand shall be substituted as under :-

Jharkhand

No. & Name of Paliamentary Constituency (1)	Date of Poll (2)	Hours of Poll (3)
4-Chatra 5- Kodarma 11-Khunti (ST) 12-Lohardaga (ST) 13-Palamu (SC) 14-Hazaribagh	16th April, 2009 (Thursday)	7.00 AM to 3.00 PM
6-Giridih 7- Dhanbad 8-Ranchi 9-Jamshedpur 10-Singhbhum (ST)	23rd April, 2009 (Thursday)	7.00 AM to 3.00 PM

By Order,

Sd/-
(SHANGARA RAM)
Principal Secretary to the
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.